

दिनांक- 29/07/2025

सेवा अनुबंध - जापा

सहायक का नाम Anju Dew	सहायक का कॉन्टैक्ट नंबर 1 858 7918574 2 8368765377
सहायक का पता Village Bhadama Post Punner Police Station Hatlana Junction Bhadama	सहायक का ID no. 8579 7205 2979

Broomees India Pvt.Ltd. के क्लाइंट के घर में काम करने हेतु सहायक द्वारा निम्नलिखित बातों पर सहमती व्यक्त की गई है।

- 1) कि सहायक को M/s Broomees द्वारा काम मिला है तथा वह M/s Broomees के सभी शिष्टाचार एवं सेवा दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
- 2) सहायक के लिए रहने की व्यवस्था क्लाइंट द्वारा की जाएगी। हालांकि, यदि निजी कमरा उपलब्ध नहीं है, तो सहायक को क्लाइंट के निवास में आम कमरों में रहना होगा।
- 3) सहायक को गद्दा, तकिया एवं चादर सहित मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं क्लाइंट द्वारा प्रदान की जाएंगी। लेकिन कार्यकर्ता को अपनी बुनियादी जरूरी चीजें जैसे शैम्पू, साबुन, कंघी, क्रीम आदि अपने साथ रखनी होगी।
- 4) सहायक दिन में 3 बार मुफ्त भोजन का हकदार होगा जो सहायक द्वारा ही तैयार किया जाएगा।
- 5) जापा उपलब्धता अवधि 24 घंटे की होगी।
- 6) सहायक के मासिक वेतन का भुगतान M/s Broomees द्वारा सहायक को उसके कार्य समाप्त होने के बाद भुगतान किया जाएगा।
- 7) यदि सहायक ब्रूमीज़ की मंजूरी के बिना और ग्राहक से अपने वेतन की मंजूरी के बिना बीच में ही नौकरी छोड़ देता है तो ब्रूमीज़ सहायक की वसूली और वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 8) सहायक को हर उस वस्तु/उपकरण के साथ काम करने से पहले क्लाइंट की अनुमति लेनी होगी, जिसके उपयोग का तरीका सहायक नहीं जानता।
- 9) पूर्व अनुभव, कौशल, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता के आधार पर जापा की भूमिका या तो एक बच्चा या जुड़वाँ बच्चा में जापा को सौंपी जाएगी।

अंजु



अनुबंध अवधि के दौरान, शादी, बच्चे की परीक्षा, त्योहार, कानूनी विवाद सहित किसी अन्य पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के मामले में लगातार 2 दिनों से अधिक छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

- 11) सहायक साथी कर्मचारियों/क्लाइंट के साथ वेतन के बारे में चर्चा/खुलासा नहीं कर सकता।
- 12) सहायक को क्लाइंट से एडवांस सैलरी मांगने का कोई अधिकार नहीं है।
- 13) यदि सहायक को दिल्ली मुख्यालय में आने के 7 दिनों के बाद भी अपनी अकुशलता के कारन नौकरी नहीं मिलती, तो जब तक सहायक नौकरी पर नहीं लग जाता/जाती, सहायक को M/s Broomees द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के बदले में M/s Broomees द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करना होगा। सहायक इस दौरान किसी भी कार्य के लिए किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ का हकदार नहीं होगा।
- 14) शारीरिक एवं मौखिक दुर्व्यवहार जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी और वजह से, 7 कार्य दिवसों के पूरा होने से पहले क्लाइंट बदलने की किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 15) यदि सहायक ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी किसी भी अनुचित या आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसे तुरंत उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकाया वेतन का उपयोग M/s Broomees या क्लाइंट द्वारा उठाए गए नुकसान की भरपाई के लिए होगा।
- 16) यदि क्लाइंट सहायक की सेवा से संतुष्ट नहीं है, तो M/s Broomees के पास बिना किसी पूर्व सूचना के सहायक को बदलने के सभी अधिकार हैं। हालांकि M/s Broomees सहायक को रोजगार का एक और अवसर तभी प्रदान कर सकती है जब सहायक रोजगार योग्य हो।
- 17) M/s Broomees के पास सहायक के पिछले नियोक्ता से जाँच पड़ताल करने और क्लाइंट के स्थान पर नियुक्ति से पहले सहायक का पुलिस सत्यापन करने के सभी अधिकार हैं।
- 18) यदि सहायक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सत्यापन दस्तावेज जाली पाया जाता है, तो M/s Broomees को सहायक के प्रति कानूनी कार्रवाई करने हेतु तथा सहायक द्वारा Rs. 5000/- का अतिरिक्त जुर्माना वसूल करने हेतु सभी अधिकार हैं।
- 19) जब तक कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न न हो, तब तक सहायक को अपनी अनुबंध अवधि के दौरान अपने कार्यक्षेत्र अनुसार सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा।
- 20) यदि कोई भी सहायक प्रशिक्षण एवं नौकरी की पुष्टि के बाद अंतिम समय में पीछे हट जाता है, कर्तव्यों से इनकार करता है या फरार हो जाता है, तो उसे M/s Broomees कि बहिष्कार सूची में डाल दिया जाएगा एवं उसका प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

अंजु



सहायक को दूसरे महीने में 2 छुट्टियों का अधिकार है, अगर सहायक किसी करणवर्ष छुट्टियां ले पाता, तो सहायक को उन दो दिनों का भुगतान उनके वेतन के अतिरिक्त बोनस राशि राइट से मिलेगा।

M/s Broomees सहायक के आवागमन के दौरान और नौकरी के दौरान हुई किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

23) स्वास्थ्य बीमा होना अनिवार्य है और यदि सहायक अपने बीमा का प्रमाण देने में असमर्थ है तो M/s Broomees उन्हें एक बीमा योजना प्रदान करेगा और इसका शुल्क उनके वेतन से काट लेगा।

24) यदि सहायक किसी कारणवश अपनी एक महीने अवधि का कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहती है, तो सहायक M/s Broomees को Rs. 2999/- पेनल्टी देकर अनुबंध खत्म कर सकती है। ये राशि रिफंडेबल नहीं है।

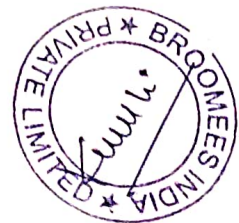
25) हेल्पर को कंपनी की लिखित अनुमति के बिना ब्रूमीज़ द्वारा संदर्भित किसी भी ग्राहक के स्थान पर काम करने की अनुमति नहीं है। अगर हेल्पर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो कंपनी हेल्पर के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कर सकती है।

26) जब आप ग्राहक के स्थान पर होते हैं, तो ग्राहक की लिखित सहमति के बिना आपके पास कोई ऐसी वस्तु या नकदी नहीं होनी चाहिए जो आपकी नहीं हो। यदि कोई ग्राहक आपको कोई नकद या कोई वस्तु दे रहा है तो आपको ग्राहक से लिखित और हस्ताक्षरित सहमति लेनी होगी कि वे स्वेच्छा से आपको वह विशेष वस्तु उपहार में दे रहे हैं। यदि किसी भी समय, कोई वस्तु या नकदी उस वस्तु या नकदी के मूल मालिक की लिखित सहमति के बिना आपके कब्जे में पाई जाती है तो इसे चोरी माना जाएगा और आपको ब्रूमीज़ प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाएगा और आपकी अर्जित वेतन जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस में शिकायत भी दर्ज करायी जा सकती है।

Anju Devi
कार्यकर्ता का नाम:

अंजु

कार्यकर्ता हस्ताक्षर



M/s Broomees अधिकारी